

२२/१०
२०२१

२०२०
००१०९

पञ्चावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान २०२१
के तहत ग्राम पंचायत पाण्डोली पर आयोजित
शिबिर में निष्पत्ति हेतु लक्ष्य गई। हमने
पञ्चावली का अवलोकन किया। प्राथमिक
ग्राम पाण्डोली प ०६० पाण्डोली तहसील
चिचोडगाव स्थित अपनी श्वेतदारी आराजी संख्या
७५१/१ रकबा ०.०६५ एवं ७५१/३ रकबा ०.२१६ हे
तुमि की पत्थरगरी कराना चाहते हैं। पञ्चावली
में अलग ग्राम पाण्डोली तहसील चिचोडगाव की
जम्मावली सन् २०६८-२०७१ अनुसार
ग्राम पाण्डोली प ०६० पाण्डोली तहसील चिचोडगाव

(श्याम सुन्दर विश्वाङ्क)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिचोडगाव (राज.)



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

अन्तर्गत

कदमा

नं.

सन्

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>स्थित झाराजी नम्बर 751/1 रकबा 0.064 हे भूमि प्राची संख्या 1 एवं झाराजी नम्बर 751 भी रकबा 0.2160 प्राची संख्या 2 के नाम पर खतेदारी हक से दर्ज रेकाइ है। अतः ! प्राचीगण का प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 128 पर हक स्वीकार किया जाकर ग्राम पाण्डोली पं० ह० पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित प्राचीगण की खतेदारी झाराजी संख्या 751/1 रकबा 0.064, 751 भी रकबा 0.2160 वैत। 2 रकबा 0.2800 हे. भूमि की बिना किसी के कलेजे में दर्जलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नम्बरो अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 500.00 रुपये असरे पन्च से रुपये प्राचीगण वसूल करेंगे। पालनाच तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जाते कि पत्थरगढी को लिखित सूचना देकर निधमानुसार पत्थरगढी की जाये एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली केसल शुभार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर विश्वादी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)